

प्रेस नोट-
थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी

दिनांक – 09.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में वाँछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर, मा0 न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार झाँसी में निरुद्ध कराया गया,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.01.2026 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) झाँसी में अभियोजित केस नम्बर केस न0-145/11 मु0अ0स0-102/11 धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना प्रेमनगर झाँसी में वाँछित चल रहे वारण्टी अभियुक्त **जसवन्त पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी- ग्राम दुर्गापुर, सिविल लाइन, जिला- दतिया(म०प्र०)** को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मा0 न्यायालय के आदेश पर वारण्टी अभियुक्त को जिला कारागार झाँसी भेजा गया है। दौराने गिरफ्तारी माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आदेश-निर्देश का पूर्णतः पालन किया गया।

वारण्टी का नाम- जसवन्त पुत्र मोतीलाल, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी- ग्राम दुर्गापुर, सिविल लाइन, जिला- दतिया (म.प्र.)

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी-

1. उ0नि0 श्री मतिराम थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी
2. थाना दतिया पुलिस (म.प्र.)